7/30/24, 10:37 AM   रायपुर Page: 3 - पीपुल्स समाचार - पीपुल्स समाचार ई-पेपर

न्यूज ब्रीफ

जल्द शुरू होगी रायपुर-अंबिकापुर हवाई सेवा..

रायपुर। केन्द्र सरकार की उड़ान योजना के पहले दौर में अंबिकापुर-बिलासपुर, और अंबिकापुर-रायपुर-अंबिकापुर विमान सेवा जल्द शुरू होगी। इसके लिए विमानन कंपनी का चयन भी कर लिया गया है।केन्द्रीय नगरीय विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने भाजपा विधायक राजेश अग्रवाल के पत्र के जवाब में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अंबिकापुर हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ सरकार के स्वामित्व में हैं।केन्द्रीय विमानन मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार उड़ान योजना संचालित कर रही है। उड़ान योजना के पहले दौर की प्रक्रिया के अंतर्गत अंबिकापुर हवाई अड्डे की उड़ानों के प्रचालन के लिए चिन्हित किया गया था। उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के अंतर्गत अंबिकापुर-बिलासपुर-अंबिकापुर, और अंबिकापुर-रायपुर-अंबिकापुर मार्ग पर विमान सेवा शुरू करने के लिए मेसर्स फ्लाईबिग को अवॉर्ड किया गया है। यह विमान सेवा 19 सीटर होगी। विमान की उपलब्धता के आधार पर एयरलाइन जल्द ही विमान सेवा शुरू कर सकती है। उल्लेखनीय है कि राजेश अग्रवाल ने अंबिकापुर-रायपुर-नागपुर, वाराणसी और नई दिल्ली को अंबिकापुर से जोडे के लिए विमान सेवा शुरू करने का आग्रह किया था।

चेन पुलिंग पर आरपीएफ ने 24 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की

रायपुर। बिना ठोस कारण के ट्रेन में चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल ने 24 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तथा चेन पुलिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया।रायपुर डिवीजन में रेल यात्रियों द्वारा ट्रेन में लगातार की जा रहे चेन पुलिंग कि शिकायत पर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, रायपुर,रमन कुमार द्वारा आर पी एफ कि टीम बनाकर रेलवे स्टेशन भिलाई पावर हाउस में कार्यवाही करने हेतु आदेश किया गया।

रेलवे सुरक्षा बल की टीम द्वारा ट्रेन नंबर 18202 नवतनवा झ दुर्ग में बिना उचित कारण के चेन खिंचने वाले लोगो पर कार्यवाही की गई। ट्रेन थ्रु पास होते ही चेन पुलिंग हॉर्न के कारण रूक गई तुरंत वहाँ पर मौजूद आर पी एफ के अधिकारी व बल सदस्य हरकत में आ गए एवं उक्त ट्रेन से उतरे हुए यात्रियों को रोक कर उनसे बिना स्टॉपेज के भिलाई पावरहाउस में उतरने का कारण पूछा। टी टी ई द्वारा यात्रियों का टिकट चेक करने पर पाया गया कि अधिकांश यात्री दुर्ग तक यात्रा करने का टिकट रखे हैं परन्तु चेन खींच कर भिलाई पावर हाउस में उतर गए।पर्याप्त एवं उचित कारण नहीं होने के कारण चेन खिंचने वाले 1 व्यक्ति को रेलवे एक्ट कि धारा 141 के तहत गिरफ़्तार किया।उनमे से 6 यात्रियों को रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत गिरफ़्तारी, 10 व्यक्तियों को रेलवे एक्ट की धारा 145 बी के तहत गिरफ़्तारी की कार्यवाही की गई। सात व्यक्तियों से टीटी के माध्यम से रू1640/- जुमार्ना वसूला गया। कुल 24 यात्रियों पर समस्त कानूनी कार्यवाही कर चेतावनी देकर मुचलका पर छोड़ा गया।

ब्रेस्ट कैंसर जांचने के लिए करें सेल्फ एग्जामिनेशन

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के सरोना महिला केंद्र की मासिक बैठक में डॉ अलका गोले ने महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को सेल्फ एग्जामिनेशन करने का तरीका भी बताया।डॉ. अलका गोले ने कहा कि महिलाओं को हर महीने सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। यदि इनिशियल स्टेज में हम स्वयं जागरुक होकर डॉक्टर के पास जाएं, तो कैंसर से बचा जा सकता है। अपनी बहू और बेटियों को भी कैंसर प्री एग्जामिनेशन के बारे में वह सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताइए। सभी ने यह तय किया कि स्लम एरिया की हम महिलाओं को कैंसर से बचने के उपाय बताएंगे। बैठक में केंद्र की महिलाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए महाराष्ट्र मंडल की उपाध्यक्ष गीता दलाल, महिला प्रमुख विशाखा तोपखानेवाले, सह प्रमुख अपर्णा देशमुख व मनीषा वरवंडकर विशेष रूप से उपस्थित थीं।

सबसे पहले सभी महिलाओं ने अपना परिचय देते हुए एकजुट होकर सामाजिक कार्य करने पर सहमति प्रदान की।

कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक, लंबित राजस्व प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश

प्रकृति के संरक्षण के लिए नमीयुक्त भूमि में कारगर होगा सीड बॉल : कलेक्टर

पीपुल्स संवाददाता • रायपुर
editor@peoplessamachar.co.in

जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी प्रकृति संरक्षण की बेहतरी का कार्य करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप सीड बॉल का इस्तेमाल कर पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ खाली जमीन पर पौधे उगाने का कार्य करें। श्रम कार्ड बनाने व राशन कार्ड के नवीनीकरण का कार्य गंभीतर से किया जाए।

यह उक्त बातें कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्टोरेट परिसर के रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक में कहीं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी दौरे पर जाएं तो खाली पड़ी न नमीयुक्त जमीन पर सीड बॉल को फेंक दें, ताकि पर्यावरण के अनुकूल पौधे उग आएंगे। इससे पर्यावरण संरक्षित भी होगा। इसमें नीम, जामुन समेत कई अन्य प्रकार के बीज है। कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि पटवारी प्रतिवेदन में देरी न की जाएं, अभिलेख दुरूस्ती का कार्य तेजी से किया जाएं। नामांतरण के मामले लंबित न हो। कोई भी प्रकरण समय-सीमा के भीतर ही निपटारा किया जाए। आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में गंभीरता बरती जाएं। आवेदन के तत्पश्चात ही प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर आवेदक को राशि की स्वीकृति दिलाई जाएं। मकानों की क्षति की राशि भी लंबित न हो, इसे भी सुनिश्चित की जाएं। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि श्रम कार्ड बनाने में लापरवाही नहीं बरती जाएं। साथ ही राशनकार्ड का नवीनीकरण कार्य तेज गति से किया जाएं। राशनकार्ड का वितरण भी जल्द से जल्द किया जाए।

पोषण गुणवत्तापूर्ण हो

कलेक्टर ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को दिए जाने वाले पोषण में गुणवत्तापूर्ण हो। इसकी समय-समय पर मॉनीटरिंग की जाएं। कलेक्टर ने कहा कि पीएम स्वनिधि के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाया जाए। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निदान भी किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि सौर घर योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाया जाए। इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, डीएफओ लोकेश पटेल समेत एडीएम, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी आम नागरिकों की समस्याएं

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने आम नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश भी दिए। सोमवार को जनदर्शन में अनेक आवेदन प्राप्त किए गए।इस दौरान बोरिया निवासी तोरन यादव ने दिव्यांगता के आधार पर बैटरी रहित ट्राय सायकल प्राप्त करने, ग्राम धनेली निवास नरेश श्रीवास ने ग्राम धनेली में व्यवस्थापन के तहत भूमि की मांग, माना कैम्प निवासी भागवत प्रसाद कोसले ने पेंशन बहाल करने, जनता कॉलोनी निवासी श्रेयांश ठाकरे ने अवैध कब्जा हटाने, ग्राम टेकारी नेतराम सिंह ठाकुर ने नक्शा बटांकन, कोरसी तहसील आरंग निवासी रामकुमार साहू से बेजा कब्जा हटाने जैसे अन्य आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

जुआ एक्ट में अब एसीबी एवं ईओडब्ल्यू को मिला जांच और कार्रवाई का अधिकार

ऑनलाइन जुआ-सट्टा के मामलों में तेजी से होगी प्रभावी कार्रवाई

पीसं, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निदेर्शानुसार राज्य में जुआ-सट्टा विशेषकर ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कड़ाई से रोक और इस मामले में संलिप्त लोगों पर तेजी से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने विधिवत अधिसूचना का प्रकाशन कर छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की समस्त धाराओं के अंतर्गत अब एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण (ईओडब्ल्यू) को जांच और कार्रवाई का अधिकार दे दिया है।एसीबी और ईओडब्ल्यू को यह अधिकार मिलने से ऑनलाइन जुआ के मामलों में भी तेजी से जांच एवं प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू अब तक केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता से जुड़े मामलों में जांच करती रही है। इस अधिसूचना के प्रकाशन से एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच और कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है।गौरतलब है कि एसीबी और

ईओडब्ल्यू को जुआ एक्ट के तहत जांच और कार्रवाई का अधिकार मिलने से इन मामलों की जांच एक ही विंग में होगी। जिससे जांच में आसानी और कार्रवाई में तेजी आएगी। राज्य में जुआ-सट्टा पर प्रभावी तरीके से शिकंजा कसा जा सकेगा।छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम में ऑनलाइन जुए को शामिल किया गया है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान तथा गैर जमानती धाराओं को शामिल किया गया था। अधिनियम में कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान करते हुए जुआ घर का स्वामी होना, जुआ खिलाना, ऑनलाइन जुआ खिलाना, विज्ञापन प्रतिषेध का उल्लंघन और कंपनी द्वारा अपराध को संज्ञेय तथा गैरजमानती अपराध बनाया गया है।

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले दो गिरफ्तार

रायपुर। रेंज साइबर थाना, रायपुर ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में विभिन्न राज्यों के कुल 80 पुलिस थानों और साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज है। मामले का विवरणः प्रार्थी डॉ. प्रकाश गुप्ता (66 वर्ष), निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, टाटीबंध आमानाका, रायपुर, रिटायर्ड सिविल सर्जन ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम पर उनसे 74.49 लाख रुपए की ठगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। 16 जुलाई को रेंज साइबर थाना रायपुर में अपराध क्रमांक 8/24 धारा 420, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा द्वारा रेंज साइबर थाना की टीम को तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों के उपयोग किए जा रहे बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जानकारी प्राप्त की।

नवा रायपुर में तैयार हुआ बंगला, 31 को शिफ्ट होंगे मंत्री नेताम

रायपुर। नवा रायपुर के सेक्टर-24 में मुख्यमंत्री व मंत्री निवास बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं। मंत्री रामविचार नेताम 31 जुलाई को नवा रायपुर के सरकारी बंगले में गृहप्रवेश करेंगे। साथ ही नवा रायपुर में मंत्री बंगले में शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। संपदा विभाग ने यहां पर तीन मंत्रियों रामविचार नेताम, दयालदास बघेल और लक्ष्मी राजवाड़े को बंगला आवंटित किया है। मंत्री नेताम के यहां शिफ्ट होने के बाद मंत्री दयालदास बघेल ने नवा रायपुर में शिफ्टिंग की इच्छा जताई है। फिलहाल नेताम मौलश्री विहार में अपने निजी आवास में रह रहे हैं।

नवा रायपुर में मुख्यमंत्री निवास बनकर तैयार है, इसके पास ही मंत्रियों एवं विधानसभा अध्यक्ष का बंगला भी तैयार किया गया है। कुल मिलाकर 14 बंगलों का निर्माण किया गया है। नई सरकार बनने के बाद सीएम तथा मंत्रियों के यहां पर शिफ्ट होने की चर्चा थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से यहां पर शिफ्टिंग नहीं हो पाई। अब मंत्री श्री नेताम के नवा रायपुर में शिफ्टिंग के बाद यहां के बंगले आबाद होने शुरू होंगे।

जनसमस्या निवारण शिविर में पहुंचे नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस.

राशन कार्ड जल्द से जल्द वितरित करने के दिए निर्देश

पीपुल्स संवाददाता • रायपुर
editor@peoplessamachar.co.in

जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर के दूसरे दिन नगरीय प्रशासन सचिव डॉ. बसवराजू एस. एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह वार्ड क्रमांक 27 के इंदिरा गांधी वार्ड में पहुंचे। डॉ. बसवराजू ने प्रत्येक विभागों के स्टॉल में पहुंचकर जानकारी ली। इस दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में ली।

इस अवसर पर नगरीय प्रशासन संचालक श्री कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।नगरीय प्रशासन सचिव डॉ. बसवराजू ने राशनकार्ड का जल्द से जल्द नवीनीकरण कर हितग्राहियों को वितरित करने के निर्देश दिए। महिला बाल विकास विभाग के स्टॉल में पहुंचकर पूरक पोषण आहार के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के प्राप्त आवेदन की तकनीकी समस्या को दूर करते

हुए योजना का लाभ दिलाया जाए। पीएम स्वनिधि योजना का स्ट्रीट वेंडर्स को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। आवेदकों की समस्याओं को दूर करने के लिए डीएलसीसी की बैठक ली जाए और समस्याओं को निराकरण किया जाए। साथ ही योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने और ऋण की राशि की वापसी ऑनलाइन या गूगल पे से वापसी कराने संबंधी निर्देश दिए, ताकि हितग्राहियों को बैंक में बार-बार जाने की जरूरत नहीं होगी।पेयजल की समस्या आने पर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए है। साथ ही घरों व बड़े संस्थानों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए प्रेरित किया जाए और जल को बचाने के उपाय बताते हुए सिस्टम अधिक से अधिक जगहों पर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही हेल्थ कैंप में पहुंचकर आम नागरिकों से बातचीत की। शिविर के हेल्थ कैंप में दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

आज के शिविर में वार्ड के नागरिक विभिन्न प्रकार के आवेदन लेकर पहुंचे। उनकी समस्याओं को दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। शिविर में 20 से अधिक नागरिकों के आधार कार्ड बनाकर दिए गए। 16 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाकर दिए गए।

kotak कोटक महिन्द्रा बैंक लि. ई- नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी27, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा(ई), मुम्बई-400 051(महा.)
कार्पोरेट कार्यालय : कोटक इनफिनिटी, जोन-II, चौथी मंजिल, बिल्डिंग नं. 21, इनफिनिटी पार्क, डब्ल्यू.ई. हाइवे, गोरेगांव, मुम्बई-400 097 (महा.)
शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय : बैंक प्रथम मंजिल, मुक्ता प्रयाग कॉम्पलेक्स निरंकारी फर्निचर के पास, पांड्री रायपुर 492001 छ.ग.

एतद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को गिरवी रखी गई है, जिसका भौतिक कब्जा **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी** द्वारा 22-04-2024 को लिया गया है। जिसे **''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा,अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार, मे. सी1 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड यानि www.c1india.com के वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाईन जमा करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

ऋणकर्ता(ओ) /ग्यारंट(रो)/मार्टगेजर (रो) का नाम	मांग पत्र दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विस्तृत विवरण	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि जमा (ईएमडी)	अचल संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि / नीलामी की तिथि/समय
(LAP18404293/LAP18404806/LAP18404888/ LAP18405660 और CRN सभी ऋण खाते- 248048440) 1) मेसर्स पिथालिया कॉम्प्लेक्स अपने सभी भागीदारों के माध्यम से जिसका पता है : पिथालिया कॉम्प्लेक्स के.के. रोड, स्टेशन वार्ड रायपुर - 492009. छ.ग. इसके अलावा: कार्यालय क्रमांक-ए, बी, सी, डी प्रथम तल, पिथालिया कॉम्प्लेक्स, रायपुर, खं. नंबर 88/2, 88/3, रूम वर्क्स, के.के. रोड, इंदिरा गांधी वार्ड रायपुर, तहसील और जिला रायपुर छ.ग. 492001. (उधारकर्ता)। 2) श्री भूपेश कुमार पिथालिया, पता: 9-391, के. के. रोड, रामे वर्क्स फफादीन चौक, रायपुर 492009. सी.जी. (सह-उधारकर्ता/भागीदार), 3) भरत कुमार पिथालिया, पता: 9-391, के. के. रोड, रामे वर्क्स फफादीन चौक, रायपुर 492009. छ.ग. (सह-उधारकर्ता/भागीदार)। 4) दमयंती पिथालिया, पता: 9-391, के. के. रोड, रामे वर्क्स फफादीन चौक, रायपुर 492009. छ.ग. (सह-उधारकर्ता/भागीदार) 5) कल्पना पिथालिया, पता: 9-391, के. के. रोड, रामे वर्क्स फफादीन चौक, रायपुर 492009. छ.ग. (सह-उधारकर्ता/भागीदार)। 6) जयेश कुमार पिथालिया, पता: 9-391, के.के. रोड, रूम वर्क्स, फफादीन चौक, रायपुर 492009. छ.ग. (सह-उधारकर्ता/भागीदार)। 7) हितेश पिथालिया, पता: 9-391, के.के. रोड, रूम वर्क्स, फफादीन चौक, रायपुर 492009. छ.ग. (सह-उधारकर्ता/भागीदार)	मांग सूचना दिनांक 31-08-2023, रुपये 10,19,67,712.27/- (रुपये दस करोड़ उन्नीस लाख साठ हजार सात सौ बारह और सताईस पैसे मात्र) दिनांक 28-08-2023 तक	सभी टुकड़े और पार्सल वाणिज्यिक संपत्ति कार्यालय क्रमांक-ए, बी, सी, डी पहली मंजिल, पिठालिया कॉम्प्लेक्स, रायपुर, खंभा नंबर 88/2, 88/3, कुल क्षेत्रफल 28706 वर्ग फीट आरएमई वर्क्स, केके रोड, इंदिरा गांधी वार्ड, रायपुर, तहसील और जिला रायपुर सी.जी. 492001। संपत्ति क्रमांक- ए, बी, सी, डी का विवरण। कार्यालय क्रमांक-ए पहली मंजिल पिठालिया कॉम्प्लेक्स, लगभग निर्मित क्षेत्रफल 1551.93 वर्ग फीट। सुपर निर्मित क्षेत्रफल 2062.85 वर्ग फीट केएच नंबर 82/2, 88/3 का हिस्सा, केके रोड इंदिरा गांधी वार्ड रायपुर सीजी 492001, कार्यालय क्रमांक-बी पहली मंजिल पिठालिया कॉम्प्लेक्स, लगभग निर्मित क्षेत्रफल 3069 वर्ग फीट। केएच नंबर 82/2,88/3, केके रोड इंदिरा गांधी वार्ड रायपुर सीजी 492001 का सुपर निर्मित एरिया 3989.7 वर्ग फीट हिस्सा, कार्यालय नंबर-सी प्रथम तल पिठालिया कॉम्प्लेक्स, लगभग निर्मित एरिया 1551.93 वर्ग फीट मापता है। केएच नंबर 82/2,88/3, केके रोड इंदिरा गांधी वार्ड रायपुर सीजी 492001 का सुपर निर्मित एरिया 2062.85 वर्ग फीट हिस्सा, कार्यालय नंबर-डी प्रथम तल पिठालिया कॉम्प्लेक्स, लगभग निर्मित एरिया 2940 वर्ग फीट मापता है। केएच नंबर 82/2,88/3, केके रोड इंदिरा गांधी वार्ड रायपुर सीजी 492001 का सुपर निर्मित एरिया 3822 वर्ग फीट हिस्सा	आरक्षित मूल्य: रु. 16,43,77,998/- (सोलह करोड़ तैंतालीस लाख सत्तहतर हजार नौ सौ अट्ठानवे मात्र); बयाना राशि जमा (ईएमडी): रु. 1,64,37,800/- (एक करोड़ चौसठ लाख सैंतीस हजार आठ सौ रुपए मात्र)	निरीक्षण: 12/08/2024 11:00 बजे — 12:00 बजे; नीलामी: 23/08/2024 11:00 बजे — 12:00 बजे

बोली वृद्धि राशि 10,00,000/- प्रस्ताव / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : - 22/अगस्त/2024 शाम 5.00 बजे तक

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :

(1) नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** की वेबसाइट देख सकते हैं यानी **https://www.bankeauctions.com** ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण और बोली प्रपत्र जो आनलाईन जमा किया जाएगा। (2) सभी इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** में अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मुफ्त में जेनरेट करना होगा। पूर्वोक्त तिथि और समय पर ; (3) ई-नीलामी पर किसी भी पूछताछ, सूचना, समर्थन, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार **मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विभाग से श्री मिथलेश कुमार मोबाइल नंबर**: 70808 04466 और **ई-मेल आईडी**: mpcg@c1india.com और **support@bankeauctions.com** से संपर्क कर सकते है। (4) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाता ऊपर वर्णित या पूर्व नियुक्ति के साथ किसी अन्य तिथि और समय पर संपत्ति और उसके दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते है और उन्हें ई-नीलामी पर अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकार पर भार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन केएमबीएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे **केएमबीएल** को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को वेब पोर्टल (**https://www.bankeauctions.com**) पर ब्याज मुक्त वापसी योग्य बयाना जमा (ईएमडी) के भुगतान का विवरण जमा/अपलोड करना होगा। दिल्ली में देय 'कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास के पते के प्रमाण, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ जैसा की ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। (5) अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी जो ई-नीलामी में सफल नहीं हुए, उन्हें केएमबीएल द्वारा ई-नीलामी बंद होने के 72 कार्य घंटों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नही होगा। (6) सफल बोलीदाता पैन संख्या AADFP0364M पर टीडीएस के रूप में बिक्री मूल्य का 1% (बिक्री आय में से) का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और बिक्री मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के लिए 1% की कटौती के बाद) जमा करेगा, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 15 कार्य दिवसों के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य विस्तारित समय के भीतर ईएमडी को समायोजित करेगा, ऐसा न करने पर बयाना जमा जब्त कर लिया जाएगा।

सरफेसी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) **और** 9(1) के तहत ऋणी/बंधक/गारंटर को एतद्वारा **15 दिनों** का वैधानिक नोटिस दिया जाता है। ताकि देयता का पूर्ण निवर्हन किया जा सके और भुगतान किया जा सके। इस नोटिस की तारीख से तीस दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित देय राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर सुरक्षित संपत्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा। अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति होने की स्थिति में, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। यदि उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता बैंक को देय राशि का भुगतान बिक्री की तारीख से पहले पूरी तरह से कर देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए हमारे अधिकृत अधिकारी **श्री रविन्द्र द्विवेदी @+919764443818 और श्री अशोक मोटवानी @ 9873737351** पर बैंक के उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करें।

विशेष निर्देश :- ई-नीलामी हमारे सेवा प्रदाता **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** द्वारा संचालित की जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) की ओर से, पूर्व-निर्दिष्ट तिथि पर, जबकि बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी पसंद के अनुसार अपने स्वयं के घर/कार्यालयों/अपनी बोली के स्थान से उद्धृत करना होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सामग्री आवश्यकताओं को बोली लगाने वालों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की विफलता (किसी भी कारण से जो भी हो) की पूरी जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी और न तो केएमबीएल और न ही **सी1 इंडिया प्राइवेट। लिमिटेड** इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जो भी आवश्यक हों, करें ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और फिर भी ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। तथापि, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी जटिल स्थिति से बचने के लिए अपनी बोली को उद्धृत करने/सुधारने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें।

स्थान : रायपुर,छ.ग. दिनांक : 30.07.2024   हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी), कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

kotak कोटक महिन्द्रा बैंक लि. ई- नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी27, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा(ई), मुम्बई-400 051(महा.)
कार्पोरेट कार्यालय : कोटक इनफिनिटी, जोन-II, चौथी मंजिल, बिल्डिंग नं. 21, इनफिनिटी पार्क, डब्ल्यू.ई. हाइवे, गोरेगांव, मुम्बई-400 097 (महा.)
शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय : बैंक प्रथम मंजिल, मुक्ता प्रयाग कॉम्पलेक्स निरंकारी फर्निचर के पास, पांड्री रायपुर 492001 छ.ग.

एतद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को गिरवी रखी गई है, जिसका भौतिक कब्जा **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी** द्वारा लिया गया है। जिसे **''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा,अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार, मे. सी1 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड यानि www.c1india.com के वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाईन जमा करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

ऋणकर्ता(ओ) /ग्यारंट(रो)/ मार्टगेजर (रो) का नाम	मांग पत्र दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विस्तृत विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	अचल संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि / नीलामी की तिथि/समय
BBA_WC TL क्रमांक 6397TL0100000099, BBA_WC '9312774043, BBA_WCDL '6397DL0100000113 और ऋण क्रमांक BBA_WC '6397CL010000006 ("ECLGS") में सभी ऋण खाते जिनका CRN 193823514 है, मे. गोयल ब्रदर्स इसके सभी भागीदारों के माध्यम से, गोयल ब्रदर्स ऑफिस गुढ़ियारी अंडर ब्रिज के पास रायपुर (छ.ग.)492001. (...उधारकर्ता), श्री संतोष कुमार अग्रवाल, गोयल ब्रदर्स ऑफिस गुढ़ियारी अंडर ब्रिज के पास रायपुर (छ.ग.) 492001 (...भागीदार/ सह-उधारकर्ता), श्री संदीप कुमार अग्रवाल पिता स्वर्गीय श्री कैलाश चंद अग्रवाल, गोयल ब्रदर्स ऑफिस गुढ़ियारी अंडर ब्रिज के पास रायपुर (छ.ग.) 492001. (...भागीदार-सह-उधारकर्ता/कानूनी वारिस), श्री सचिन कुमार अग्रवाल, गोयल ब्रदर्स ऑफिस गुढ़ियारी अंडर ब्रिज के पास रायपुर (छ.ग.) 492001. (...भागीदार-सह-उधारकर्ता), श्री सुमीत अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री कैलाश चंद अग्रवाल, गोयल ब्रदर्स ऑफिस गुढ़ियारी अंडर ब्रिज के पास रायपुर (छ.ग.) 492001.(...गारंटर/सह-उधारकर्ता/कानूनी वारिस), श्रीमती हंसा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कैलाश चंद अग्रवाल, गोयल ब्रदर्स ऑफिस गुढ़ियारी अंडर ब्रिज के पास रायपुर (छ.ग.) 492001.(...संपत्ति मालिक/गारंटर/कानूनी वारिस), मेसर्स जगदीश प्रसाद गजानंद एंड कंपनी, गोयल ब्रदर्स ऑफिस गुढ़ियारी अंडर ब्रिज के पास रायपुर(छ.ग.) 492001	डिमांड नोटिस दिनांक 01-02-2022, रु. 4,21,70,004.88/- (रुपये : चार करोड़ इक्कीस लाख सत्तर हजार चार और अस्सी पैसे मात्र) 19-1-2022 तक	संपत्ति -1. आवास सह व्यावसायिक संपत्ति के सभी हिस्से प्लॉट क्रमांक 327, समता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, समता कॉलोनी, स्वामी आत्मानंद वार्ड क्रमांक 15, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001 में स्थित हैं। मालिक संतोष कुमार हैं। सीमाएं: उत्तर: सड़क, दक्षिण: अन्य, पूर्व: प्लॉट क्रमांक -328, पश्चिम: प्लॉट क्रमांक -326, कब्जे की तारीख 5/1/24 है। संपत्ति - 2. आवास सह व्यावसायिक संपत्ति के सभी हिस्से प्लॉट क्रमांक 312, समता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, समता कॉलोनी, स्वामी आत्मानंद वार्ड क्रमांक 15, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001 में स्थित हैं। स्वामित्व: कैलाश चंद अग्रवाल और हंसा देवी, उत्तर: 30' रोड, दक्षिण: प्लॉट संख्या -206 और 326, पूर्व: प्लॉट संख्या -313, पश्चिम: प्लॉट संख्या -31, कब्जे की तारीख 19/1/24 है।	आरक्षित मूल्य रु. 4,91,40,000/- (चार करोड़ इक्यानवे लाख चालीस हजार रुपए मात्र) है — संपत्ति-1 के लिए आरक्षित मूल्य रु. 2,34,00,000/- (दो करोड़ चौंतीस लाख रुपए मात्र) है — संपत्ति 2 के लिए	रु. 49,14,000/- (रुपये उनचास लाख चौदह हजार मात्र) संपत्ति 1 के लिए - रु. 23,40,000/- (रुपये तेईस लाख चालीस हजार मात्र) संपत्ति 2 के लिए	निरीक्षण: 28/08/2024 11:00 बजे — 12:00 बजे; नीलामी: 10/09/2024 11:00 बजे — 12:00 बजे

बोली वृद्धि राशि 1,00,000/- प्रस्ताव / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : - 09/09/2024 शाम 5.00 बजे तक

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :

(1) नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** की वेबसाइट देख सकते हैं यानी **https://www.bankeauctions.com** ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण और बोली प्रपत्र जो आनलाईन जमा किया जाएगा। (2) सभी इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** में अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मुफ्त में जेनरेट करना होगा। पूर्वोक्त तिथि और समय पर ; (3) ई-नीलामी पर किसी भी पूछताछ, सूचना, समर्थन, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार **मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विभाग से श्री मिथलेश कुमार मोबाइल नंबर**: 70808 04466 और **ई-मेल आईडी**: mpcg@c1india.com और **support@bankeauctions.com** से संपर्क कर सकते है। (4) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाता ऊपर वर्णित या पूर्व नियुक्ति के साथ किसी अन्य तिथि और समय पर संपत्ति और उसके दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते है और उन्हें ई-नीलामी पर अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकार पर भार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन केएमबीएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे **केएमबीएल** को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को वेब पोर्टल (**https://www.bankeauctions.com**) पर ब्याज मुक्त वापसी योग्य बयाना जमा (ईएमडी) के भुगतान का विवरण जमा/अपलोड करना होगा। इन्दौर में देय 'कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास के पते के प्रमाण, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ जैसा की ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। (5) अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी जो ई-नीलामी में सफल नहीं हुए, उन्हें केएमबीएल द्वारा ई-नीलामी बंद होने के 72 कार्य घंटों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नही होगा। (6) सफल क्रेता/बोलीदाता को क्रय प्रतिफल की शेष राशि प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार द्वारा उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति की 'बिक्री की पुष्टि' की तारीख से पंद्रहवें (15वें) दिन या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने विवेक पर लिखित रूप में सहमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर देय होगी। चूक की स्थिति में, तब तक जमा की गई सभी राशियां जब्त हो जाएंगी; (7) सफल बोलीदाता पैन संख्या ACJPA4637L संपत्ति 1 के लिए और पैन संख्या ACJPA4631N संपत्ति 2 के लिए (बिक्री आय में से) पर टीडीएस के रूप में बिक्री मूल्य का 1% का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और बिक्री मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के रूप में 1% की कटौती के बाद) जमा करेगा, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 15 कार्य दिवसों के भीतर ईएमडी को समायोजित करेगा या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे गए किसी अन्य विस्तारित समय के भीतर, अन्यथा अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

सरफेसी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के तहत ऋणी/बंधक/गारंटर को एतद्वारा **30 दिनों** का वैधानिक नोटिस दिया जाता है। ताकि देयता का पूर्ण निवर्हन किया जा सके और भुगतान किया जा सके। इस नोटिस की तारीख से तीस दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित देय राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर सुरक्षित संपत्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा। अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति होने की स्थिति में, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। यदि उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता बैंक को देय राशि का भुगतान बिक्री की तारीख से पहले पूरी तरह से कर देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए हमारे अधिकृत अधिकारी **श्री रविन्द्र द्विवेदी @9764443818 और श्री अशोक मोटवानी @ 9873737351** पर बैंक के उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करें।

विशेष निर्देश :- ई-नीलामी हमारे सेवा प्रदाता **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** द्वारा संचालित की जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) की ओर से, पूर्व-निर्दिष्ट तिथि पर, जबकि बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी पसंद के अनुसार अपने स्वयं के घर/कार्यालयों/अपनी बोली के स्थान से उद्धृत करना होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सामग्री आवश्यकताओं को बोली लगाने वालों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की विफलता (किसी भी कारण से जो भी हो) की पूरी जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी और न तो केएमबीएल और न ही **सी1 इंडिया प्राइवेट। लिमिटेड** इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जो भी आवश्यक हों, करें ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और फिर भी ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। तथापि, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी जटिल स्थिति से बचने के लिए अपनी बोली को उद्धृत करने/सुधारने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें।

स्थान : रायपुर (छ.ग.) दिनांक : 30.07.2024   हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी), कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

https://epapers.peoplessamachar.in/epaper/edition/15322/raipur/page/3   1/1